# वार्षिक प्रतिवेदन

## 2017-18

# राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाणा डूंगरी,
जयपुर-302004

# राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

## वार्षिक प्रतिवेदन

## (2017–2018)

### परिचय

औद्योगीकरण के सतत् विस्तार तथा जनसंख्या में लगातार वृद्धि के फलस्वरूप जल एवं वायु प्रदूषण की समस्या व्यापक स्वरूप धारण करती जा रही है। इस संदर्भ में समुचित पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना और अनेकानेक स्त्रोतों से होने वाले प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण रखना, आर्थिक विकास से संबंधित सभी नीतियों का एक अत्यंत आवश्यक आयाम बन गया है। तत्संबंधी विभिन्न प्रयासों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 में निहित दायित्वों के निर्वहन में, राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1975 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन किया गया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य जल एवं वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का नियंत्रण एवं नियमन सुनिश्चित करना है। मण्डल मूलतः निम्नलिखित अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचनाओं तथा नीति–निर्देशों की अनुपालना कराने के लिए उत्तरदायी है:–

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974.
2. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977.
3. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981.
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986.
5. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991.

### मण्डल का गठन

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल अधिनियम,1974 में तत्संबंधी वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मण्डल में पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त एक पूर्णकालिक सदस्य–सचिव तथा 15 अंशकालिक सदस्य मनोनीत हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान मण्डल का गठन निम्नानुसार रहा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमती अपर्णा अरोरा | अध्यक्ष |
| 2 | श्री के.सी.ए.अरूण प्रसाद | सदस्य–सचिव |
| 3 | प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या उनके प्रतिनिधि जो उप शासन सचिव स्तर से नीचे का न हो | सदस्य (सरकारी) |
| 4 | शासन सचिव, पर्यावरण विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन | सदस्य (सरकारी) |

| | | |
|---|---|---|
| | सचिव स्तर से नीचे के न हो | |
| 5 | आयुक्त, उद्योग विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से नीचे के न हो | सदस्य (सरकारी) |
| 6 | मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय) जन स्वा.अभि.विभाग, | सदस्य (सरकारी) |
| 7 | संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3 ) विभाग | सदस्य (सरकारी) |
| 8 | प्रबन्ध निदेशक, रीको, जयपुर | सदस्य (बोर्ड या निगम) |
| 9 | प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम, उदयपुर | सदस्य (बोर्ड या निगम) |
| 10 | श्री निर्मल नाहटा, महापौर, नगर निगम, जयपुर<br>दिनांक 28.07.2016 से 03.05.2017 तक | सदस्य<br>(स्थानीय निकाय) |
| | श्री अशोक लाहोटी, महापौर, नगर निगम, जयपुर<br>दिनांक 04.05.2017 से लगातार | |
| 11 | श्री नारायण चौपड़ा, महापौर, नगर निगम, बीकानेर | सदस्य<br>(स्थानीय निकाय) |
| 12 | श्री महेश विजय, महापौर, नगर निगम, कोटा | सदस्य<br>(स्थानीय निकाय) |
| 13 | श्री घनश्याम ओझा, महापौर, नगर निगम, जोधपुर | सदस्य<br>(स्थानीय निकाय) |
| 14 | श्री लोकेश द्विवेदी, उप महापौर, नगर निगम, उदयपुर | सदस्य<br>(स्थानीय निकाय) |
| 15 | श्री शान्ति लाल बलार, लघु उद्योग भारती, राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर | सदस्य<br>(गैर सरकारी) |
| 16 | श्री अभिषेक शर्मा, पुत्र श्री कैलाश शर्मा, 705, ग्रीन हाउस, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर | सदस्य<br>(गैर सरकारी) |
| 17 | मेजर श्री विकास चौधरी, (सेवानिवृत), ए– 147, गोल बिल्डिंग, विद्युत नगर, जयपुर | सदस्य<br>(गैर सरकारी) |

मण्डल का कार्यक्षेत्र समूचा प्रदेश है। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा जयपुर सहित कुल 15 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त राज्य के बारह अन्य स्थानों पर मण्डल की क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। मण्डल में विभिन्न स्तरों के कुल 394 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 273 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहे जो तकनिकी, विधि, लेखा एवं सामान्य संवर्गो में विभाजित हैं।

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य मण्डल की तीन बैठकें क्रमशः दिनांक 05.05.2017, 09.11.2017 एवं 12.03.2018 को आयोजित की गईं।

## मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ

सम्मति प्रबंधन, परिसंकटमय, जैव चिकित्सा एवं नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन/उपचार/निस्तारण हेतु प्राधिकार, परिसंकटमय अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं प्लास्टिक अपशिष्ट हेतु पंजीकरण, उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषित जल एवं वायु की जांच, पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना एवं जल तथा वायु अधिनियमों में उल्लिखित कृत्यों का निर्वहन मण्डल की प्रमुख गतिविधियाँ हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान मण्डल की तत्संबंधी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

**सम्मति एवं प्राधिकार प्रबंधनः**

1. वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य परियोजनाओं के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 9734 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
2. वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा खनन इकाइयों के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना एवं संचालन सम्मति के कुल 10312 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
3. वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 469 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
4. वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत कुल 1426 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।
5. वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य मण्डल द्वारा ई–वेस्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 2011 के अन्तर्गत कुल .9 प्राधिकार आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

**परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालनः**

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में आलोच्य वर्ष तक परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 1402 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हित उद्योगों में से 1018 उद्योगों में परिसंकटमय अपशिष्ट अधिक मात्रा में जनित होता है। शेष 384 उद्योग या तो बन्द हैं या उनमें कम मात्रा में परिसंकटमय अपशिष्ट या यूज्ड/ वेस्ट ऑइल जनित होता है।

**परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधाः**

राज्य के उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार निष्पादन के लिए राज्य में सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण की सुविधाओं का विकास किया गया है। इन निस्तारण सुविधाओं से संबंधित विवरण निम्नानुसार है:–

1. ग्राम गुड़ली, तहसील मावली, जिला उदयपुर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।

2. ग्राम खेड़, तहसील बालोतरा, जिला बाड़मेर – सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधा।
3. अन्य सुविधाएँ – उच्च कैलोरी क्षमता वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बहरोड़, जिला अलवर में मैसर्स कान्टीनेन्टल पेट्रोलियम प्रा0 लि0 में स्थित भस्मक (incinerator) को सामूहिक भस्मीकरण (incineration) हेतु प्राधिकृत किया गया है।
4. राज्य मण्डल द्वारा मैसर्स राजस्थान अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, उदयपुर को परिसंकटमय (ज्वलनशील) अपशिष्ट को उदयपुर से कानपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित शाखा में अंतिम निस्तारण के लिये परिवहन एवं भस्मीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
5. राज्य के लगभग सभी बड़े सीमेंट उद्योगों द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट का सहप्रसंस्करण (Co-processing) किया जा रहा है।

**जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालनः**

वर्ष 2017–2018 तक राज्य मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में 500 एवं अधिक बिस्तर के 15 अस्पतालों, 200 से 499 बिस्तर के 77 अस्पतालों, 101 से 199 बिस्तर के 57 अस्पतालों, 100 बिस्तर तक के 4309 अस्पतालों एवं 1497 डायग्नोस्टिक सेन्टर, परामर्श केन्द्र पुशचिकित्सा संस्थान आदि को चिन्हित किया गया है इनसे अनुमानतः 22,502.57 किलोग्राम प्रतिदिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न होता है।

**जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं निस्तारण सुविधाः**

राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 10 सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विकास कर कार्यरत किया गया है। इसके अतिरिक्त धौलपुर जिले में स्थित हैल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स से जनित जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधा में भी किया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण हेतु विकसित सामूहिक उपचार, भण्डारण एवं व्ययन सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र.सं. | सामूहिक सुविधा स्थल का नाम एवं कार्यस्थल | लाभान्वित शहर/ जिले |
|---|---|---|
| 1 | इन्सट्रोमेटिक इण्डिया प्रा. लि., ग्राम–खोरिपारा, आगरा रोड, जयपुर। | जयपुर (सिटी) |
| 2 | इन्सट्रोमेटिक इण्डिया प्रा. लि., ग्राम–खोरी रोपडा, आगरा रोड, जयपुर। | जयपुर ग्रामीण, दौसा, सीकर एवं झुंझुनूं |
| 3 | एनविजन एनवायरो इंजिनियर्स प्रा. लि., ग्राम–उमरदा, उदयपुर। | जिला उदयपुर, राजसमंद, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही एवं डूंगरपुर |
| 4 | सेल्स प्रमोटर, ग्राम–केरू, जैसलमेर रोड, जोधपुर। | जिला जोधपुर, जैसलमेर एवं पाली |
| 5 | सेल्स प्रमोटर, ग्राम–सांदरिया, अजमेर | जिला अजमेर एवं भीलवाडा |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | इटेक प्रोजेक्ट, गोगा गेट, बीकानेर | जिला बीकानेर, नागौर एवं चूरू |
| 7 | इटेक प्रोजेक्ट, अभोर बाईपास रोड, हनुमानगढ़ | जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर |
| 8 | हॉसविन इन्सीनरेटर, रूथ धूनी नाथ, अलवर। | जिला अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं करौली |
| 9 | हॉसविन इन्सीनरेटर, ग्राम–धानवारा, झालावाड़ | जिला झालावाड एवं बाराँ |
| 10 | राजदीप बायोटेक, ग्राम–बोरावास, कोटा | जिला कोटा एवं बून्दी |
| 11 | मैसर्स–जे.आर.आर.वेस्ट मैनजेमेन्ट प्रा.लि. (पूर्व नाम–दत्त एन्टरप्राइजेज लिमिटेड) ब्लॉक नं. एस 21 शॉप नं. 04 संजय पैलेस आगरा | जिला धौलपुर |

**संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र (CETP)**

राज्य में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योग समूह मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, बालोतरा, जसोल, बिठुजा एवं साँगानेर में कार्यरत हैं। इन लघु उद्योगों के पास स्वयं के स्तर पर प्रदूषित जल के उपचार हेतु समुचित उच्छिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए न तो आवश्यक तकनीक है और न ही आवश्यक धनराशि उपलब्ध होती है। अतः इस तरह के उद्योग समूह से जनित प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की जाती है।

राज्य में लघु उद्योग समूहों से जनित जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वर्ष 2017–2018 तक 16 संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन 16 संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्रों में से छः संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र पाली (जिला पाली) में लघु श्रेणी के वस्त्र उद्योगों के लिए, तीन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बालोतरा (जिला बाड़मेर) एवं दो संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जसोल (जिला बाड़मेर) में कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बिठुजा (जिला बाड़मेर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र उद्योगों के लिए, एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र जोधपुर (जिला जोधपुर) में वहाँ कार्यरत लघु वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योगों के लिए तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र मानपुर–माचेड़ी (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित चर्म शोधन उद्योगों के लिए कार्यरत है तथा एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र बगरू (जिला जयपुर) में वहाँ स्थापित वस्त्र उद्योगों के लिए कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र भिवाड़ी (जिला अलवर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जल प्रदूषक उद्योगों के लिए भी कार्यरत है। इस संयंत्र में औद्योगिक क्षेत्र एवं समीप की आवासीय बस्तियों का घरेलू उच्छिष्ट भी पहुंचता है। वर्ष 2017–18 में भिवाडी स्थित संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र की क्षमता विस्तार कार्य के अन्तर्गत इस संयंत्र की क्षमता 6 एम.एल.डी. से बढाकर 9 एम.एल.डी. की गई। इन संयुक्त उच्छिष्ट उपचार सयंत्रो का विवरण निम्नानुसार है:–

## राज्य में कार्यरत संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र

| क्र सं | संयुक्त उच्छिष्ट उपचार संयंत्र स्थल एवं स्थान | स्थापना / प्रारम्भ वर्ष | संयुक्त उच्छिष्ट उपचार क्षमता | उद्योग जिनके लिए व्यवस्था स्थापित की गई |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –1) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली | 1983 | 05.20 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 2 | द्वितीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –2) मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, जिला पाली | 1997 | 08.40 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 3 | तृतीय संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –3) पुनायता रोड, जिला पाली | 1999 | 09.08 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 4. | चतुर्थ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –4) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली | 2009 | 12.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 5 | शश्ठ संयंत्र (पाली सी.ई.टी.पी. –6) औद्योगिक क्षेत्र, पुनायता, जिला पाली | 2015 | 12 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 6 | प्रथम संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –1) बालोतरा, जिला बाडमेर | 2000 | 06.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 7 | द्वितीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –2) बालोतरा, जिला बाडमेर | 2006 | 12.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 8 | तृतीय संयंत्र (बालोतरा सी.ई.टी.पी. –3) बालोतरा, जिला बाडमेर | 2015 | 18 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 9 | जसोल, जिला बाडमेर | 2004 | 02.50 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 10 | जसोल, जिला बाडमेर | 2013 | 4.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 11 | बिठुजा, जिला बाडमेर | 2006 | 30.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 12 | सांगरिया औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय चरण, सांगरिया, जिला जोधपुर | 2004 | 20.00 एम.एल.डी. | वस्त्र एवं स्टील री–रोलिंग उद्योग |
| 13 | रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी, | 2004, | 09.00 | जल प्रदूषक उद्योग एवं |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | जिला अलवर | 2017–18 क्षमता विस्तार | एम.एल.डी. | आवासीय बस्तियों का मल–जल |
| 14 | रीको औद्योगिक क्षेत्र, मानपुरा माचेडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर | 2002 | 00.60 एम.एल.डी. | चर्मशोधन उद्योग |
| 15. | जयपुर इन्टीग्रेटेड टैक्स क्राफ्ट पार्क, बगरू, जिला जयपुर | 2012 | 00.50 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |
| 16. | नेक्स्ट जेन टैक्स पार्क, पाली | 2009 | 08.00 एम.एल.डी. | वस्त्र उद्योग |

**सीवेज उपचार संयंत्र (STP)**

राज्य में वर्ष 2017–2018 तक कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्रों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

**राज्य के कार्यरत मल–जल (सीवेज) उपचार संयंत्र**

| क.सं. | स्थल | क्षमता |
|---|---|---|
| 1– | ग्राम अग्यारा, तहसील रामगढ़, अलवर | 20 एम.एल.डी. |
| 2– | भिवाड़ी मोड़ के पास, सेक्टर 1, भिवाड़ी, अलवर | 4 एम.एल.डी. |
| 3– | आनासागर झील, रीजनल कॉलेज के पास, अजमेर | 13 एम.एल.डी. |
| 4– | खानपुरा तालाब, अजमेर | 20 एम.एल.डी. |
| 5– | ग्राम कुर्ला, बाडमेर | 10 एम.एल.डी. |
| 6– | ग्राम जेरला, बालोतरा कस्बे के पास, तहसील पचपदरा, बाड़मेर | 9 एम.एल.डी. |
| 7– | वल्लभ गार्डन, बीकानेर | 20 एम.एल.डी. |
| 8– | ग्राम कुवाड़ा, भीलवाड़ा* | 10 एम.एल.डी. |
| 9– | अभिमन्यु पार्क के पास, चित्तोडगढ | 3 एम.एल.डी. |
| 10– | ग्राम तागावाली, राजाखेड़ा रोड़, धौलपुर | 10 एम.एल.डी. |
| 11– | ग्राम डेलावास, प्रथम प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जयपुर | 62.50 एम.एल.डी. |
| 12– | ग्राम डेलावास, द्वितीय प्रतापनगर, तहसील सांगानेर, जयपुर | 62.50 एम.एल.डी. |
| 13– | ग्राम जयसिंहपुरा खोर, तहसील आमेर, जयपुर | 50 एम.एल.डी. |
| 14– | रामनिवास बाग, जयपुर | 1 एम.एल.डी. |
| 15– | रलावता, ग्राम गोनेर, जयपुर | 30 एम.एल.डी. |

| | | |
|---|---|---|
| 16– | ग्राम गजोधरपुरा, कालवाड़ रोड़, जयपुर | 30 एम.एल.डी. |
| 17– | स्वर्ण जयंती पार्क, विद्याधर नगर, जयपुर | 1 एम.एल.डी. |
| 18– | जवाहर सर्किल, जयपुर | 1 एम.एल.डी. |
| 19– | सेन्ट्रल पार्क, जयपुर | 01 एम.एल.डी. |
| 20– | जे.डी.ए. कॉलोनी, पालड़ी मीणा, जयपुर | 03 एम.एल.डी. |
| 21– | राजीव आवास योजना, मुहाना मण्डी, जयपुर | 01 एम.एल.डी. |
| 22– | किशनघाट, जैसलमेर | 10 एम.एल.डी. |
| 23– | जालौर शहर के पास, जालौर | 10 एम.एल.डी. |
| 24– | ग्राम गिरधरपुरा, तहसील झालरापाटन, झालावाड़ | 03 एम.एल.डी. |
| 25– | ग्राम फैजलपुर, तहसील झालरापाटन, झालावाड़ | 06 एम.एल.डी. |
| 26– | ग्राम नान्दडी, बैनाड़ रोड, जोधपुर | 20 एम.एल.डी. |
| 27– | सालावास, प्रथम, जोधपुर | 50 एम.एल.डी. |
| 28– | साजीधेड़ा, किशोरपुरा, तहसील लाड़पुरा, कोटा | 30 एम.एल.डी. |
| 29– | डाड देवी रोड़, ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील लाडपुरा, कोटा | 20 एम.एल.डी. |
| 30– | ग्राम डीडवाना, नागौर | 05 एम.एल.डी. |
| 31– | ग्राम मकराना, नागौर | 06 एम.एल.डी. |
| 32– | बलवा रोड, नागौर | 8 एम.एल.डी. |
| 33– | ई.एस.आई. हॉस्पिटिल के पास, पुनायता रोड़, पाली | 7.50 एम.एल.डी. |
| 34– | ग्राम प्रतापपुरा, राजसमन्द | 05 एम.एल.डी. |
| 35– | ग्राम हेतामजी, (माउण्ट आबू) तहसील आबू रोड़, सिरोही | 6 एम.एल.डी. |
| 36– | ग्राम सूरवाल, सवाई माधोपुर | 10 एम.एल.डी. |
| 37– | ग्राम एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर | 20 एम.एल.डी. |

* नोटः वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016–17 में क्र.सं. 17 एवं 19 पर अंकित ग्राम कुवाड़ा, भीलवाड़ा में 2 एस.टी.पी. क्रमशः 5.5 एम.एल.डी. एवं 4.5 एम.एल.डी. कार्यरत थे, किन्तु वर्ष 2017–18 में इन दोनों एस.टी.पी. के स्थान पर एक ही 10 एम.एल.डी. क्षमता का एक एस.टी.पी. कार्यरत है।

## प्रदूषित जल एवं वायु की जांच

वर्ष 2017–2018 के दौरान राज्य मण्डल की प्रयोगशालाओं द्वारा जल, उच्छिष्ट, परिवेशी वायु, उत्सर्जित गैसों एवं ध्वनि स्तर के नमूनों के विश्लेषण संबंधी किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार है:–

| नमूनों के प्रकार | विश्लेषित नमूनों की संख्या |
|---|---|
| जल / उच्छिष्ट | 3525 |
| उत्सर्जित वायु / गैस | 510 |
| परिवेशी वायु | 57125 |
| ध्वनि स्तर | 1491 |
| योग | 62651 |

## शिकायत निस्तारण

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत करने एवं प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु मण्डल में प्रदूषण जागरूकता एवं सहायता केन्द्र कार्यरत है।

वर्ष 2017–2018 के दौरान राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पर्यावरण / जल / वायु के प्रदूषण से संबंधित कुल 790 शिकायतें प्राप्त हुई एवं 739 शिकायतों का निराकरण किया गया।

## जनचेतना

राज्य में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना व पर्यावरण एवं प्रदूषण से सबंधित ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य हेतु पर्यावरण से संबंधित विशिष्ठ दिवसों यथा पृथ्वी दिवस– 22 अप्रेल, विश्व पर्यावरण दिवस– 5 जून, ओजोन परत संरक्षण दिवस-16 सितम्बर के अवसर पर प्रतिवर्ष राज्य मण्डल के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सामाजिक एवं शैक्षणिक, चिकित्सा संस्थाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से वृक्षारोपण, संगोष्ठियां, विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी, प्रदर्शनी, पोस्टर एवं क्विज प्रतियोगिताएं, पौध वितरण आदि कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण हेतु इन सभी कार्यक्रमों का संचार साधनों के माध्यम प्रचार–प्रसार भी किया जाता है।

आलोच्य वर्ष में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना व पर्यावरण एवं प्रदूषण से संबंधित प्रभावी ज्ञानवर्धन हेतु राज्य व्यापी सघन प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस– 22 अप्रेल 2017, विश्व पर्यावरण दिवस– 5 जून 2017 एवं ओजोन परत संरक्षण दिवस– 16 सितम्बर 2017 के अवसर पर पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राज्य जिलों में में गठित जिला पर्यावरण समितियों को उक्त तीनों अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हेतु राज्य मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार राशि रूपये 50000 तक उपलब्ध कराये गये।

आलोच्य वर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस– 5 जून 2017 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी.) द्वारा चुने गये विषय (थीम) "Connect with Nature" "प्रगति से जुड़ाव" को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण के प्रति जनचेतना एवं जन सहभागिता के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जयपुर में पर्यावरण विभाग, वन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम, राजस्थान स्काउट गाईड, यातायात पुलिस आदि की सहभागिता से राज्य स्तरीय आयोजन के अन्तर्गत प्रातः 6 बजे 'रन फोर एनवायरमेंट' नामक दौड़ आयोजित की गई।

- राज्य में निवेश का वातावरण बनाने एवं उद्योगों के कार्य करने के सरलीकरण के लिए राज्य मण्डल द्वारा अनेक कदम उठाय गये। डी.आई.पी.पी. के अंतर्गत राज्य मण्डल द्वारा समस्त बिन्दुओं की पालना पूर्ण की गई एवं शत–प्रतिशत अंक प्राप्त किये।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के निर्देशों की अनुपालना में राज्य मण्डल द्वारा उद्योगों का हरी एवं श्वेत श्रेणी में पुनः वर्गीकरण किया गया।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारियों को कुल 501 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 495 प्रकरणों में मांगकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना की आपूर्ति की गई।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपील अधिकारी के समक्ष 32 अपीलें दायर की गईं। इनमें सें 29 अपीलों का निस्तारण किया गया।

## पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006

- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा आलोच्य वर्ष में कुल 57 विभिन्न औद्योगिक, आधारभूत तथा खनन परियोजनाओं के प्रकरणों की जन सुनवाई आयोजित की गई एवं प्रकरण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान को अग्रेषित किये गये।

## विधिक कार्यवाही

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विभिन्न उद्योगों/ खनन इकाइयों/ व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों के विरूद्ध वर्ष 2017–18 में कुल 34 विधिक अभियोजन दायर किये गये।
- वर्ष 2017–18 में राज्य मण्डल द्वारा विभिन्न अधिनियमों का उल्लंघन करने के कारण कुल 1472 इकाइयों को निर्देश जारी किये गये। इनमें से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 33 ए के अन्तर्गत 577 इकाइयों, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 31 ए के अन्तर्गत 485 इकाइयों एवं जल व वायु अधिनियम के अन्तर्गत 410 इकाइयों के विरुद्ध निर्देश जारी किये गये।

## विविध गतिविधियाँ

1. राज्य मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (एन.ए.एम.पी.) के अन्तर्गत राज्य के 7 प्रमुख नगरों के औद्योगिक, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुल 36 स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर, एवं उदयपुर में 3–3 स्थानों पर, कोटा में 6 स्थानों पर तथा जयपुर एवं जोधपुर में 9–9 स्थानों पर परिवेशी वायु नमूनों को एकत्रित करने हेतु अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किये हुए हैं।
2. राज्य मण्डल द्वारा पूर्व में जयपुर एवं जोधपुर में सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये थे। राज्य मण्डल द्वारा वर्ष 2017–2018 के दौरान राज्य के 7 शहरों में 8 नये सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों (जयपुर में 2 एवं अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा, पाली, तथा उदयपुर में एक–एक स्थान पर) की स्थापना की गई। इस प्रकार राज्य में वर्तमान में कुल 10 सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र कार्यरत हैं।
3. मण्डल द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत राज्य के चुनिंदा स्थानों पर सतही एवं भूगर्भीय जल स्त्रोतों के जल गुणवत्ता आंकलन के लिए नियमित रूप से जल के नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम कें अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा राज्य के 21 जिलों के 128 केन्द्रों पर प्राकृतिक जल की

गुणवत्ता जांचने हेतु जल स्त्रोतों का प्रबोधन किया जा रहा है। उपरोक्त स्थानों में नदियों एवं झीलों के जल (सतही जल) के नमूने एकत्र करने की आवृति मासिक एवं कुओं की छःमाही है। 128 जल नमूना एकत्रीकरण केन्द्रों में से 42 केन्द्र नदियों एवं झीलों पर तथा 86 केन्द्र भूगर्भीय जल स्थानों (कुए, हैण्ड़पम्प, ट्यूबवेल) पर चिन्हित किए हुए हैं।

4. राज्य मण्डल द्वारा पेशेवर (प्रोफेशनल) के लिये "एडवासं ट्रंनिगं प्रोग्राम ऑन ग्रीन बिल्डिंग विषय पर एक प्राशिक्षण आयोजित किया गया।

5. ग्रीन–ए–थॉन का आयोजनः–

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 19 से 21 मार्च, 2018 तक आई.टी. दिवस के अवसर पर जयपुर में ग्रीन ए. थॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत देश के युवाओं से पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढावा देने के उद्देश्य से आई.टी./नॉन आई.टी. बेस्ड अभिनव विचार, ईको फ्रेण्डली कार्ययोजना विकसित करने हेतु सुझाव आमंत्रित किये गये। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न भागों से आये लगभग 600 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा इस आयोजन के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों में से 3 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों के प्रथम विजेता को 15 लाख रूपये, द्वितीय विजेता को 10 लाख रूपये एवं तृतीय विजेता को 7.5 लाख रूपये के पुरुस्कार प्रदान किये गये।

इस आयोजन के दौरान विद्यार्थियों एवं आगन्तुकों के लिये भी विभिन्न गतिविधियों, यथा क्विज, चित्रकारी आदि का आयोजन किया गया।

6. स्टार्ट अप पॉलिसीः–

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी की गई स्टार्ट अप पॉलिसी योजना–2016 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की अभिनव परियोजना स्टार्ट अप पॉलिसी का हिस्सा बन सकती है। इस उद्देश्य के लिए रखी गई राशि रूपये 5 करोड़ के कॉरपस फण्ड में से मैसर्स पाशान वैलफयर फाउण्डेशन, कोटा को कोटा स्टोन स्लरी से पेवर ब्लॉक्स, ब्रिक्स एवं फ्लोर टाइल्स बनाने की परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

7. बजट घोषणा 2016–2017 की अनुपालना में पर्यावरण के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है।

8. राज्य मण्डल द्वारा सी.बी.आर.आई. रूडकी से कोटा स्टोन कटिंग वेस्ट तथा स्लरी वेस्ट का उपयोग कर फ्लोर तथा टाईल्स, ब्लॉक्स आदि बनाने का अध्ययन करवाया गया है। इस अध्ययन के लिए राज्य मण्डल द्वारा 15 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। सी.बी.आर.आई. रूडकी व राज्य मण्डल के मध्य टैक्नोलोजी ट्रान्सफर हेत् 20 लाख का एम.ओ.यू. साइन किया गया है। वर्तमान में सी.बी.आर.आई. रूडकी द्वारा राज्य मण्डल को टैक्नोलोजी ट्रान्सफर कर दी गई है।

## राज्य मण्डल के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य मण्डल की आय एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

| आय (लाख रूपये में) | | व्यय (लाख रूपये में) | |
|---|---|---|---|
| विवरण | राशि | विवरण | राशि |
| केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त अनुदान | 37.17 | वेतन एवं अन्य स्थापना व्यय | 3222.57 |
| जल उपकर पुनर्भरण | 819.03 | कार्यालय व्यय | 669.16 |

| आय (लाख रूपये में) | | व्यय (लाख रूपये में) | |
|---|---|---|---|
| विवरण | राशि | विवरण | राशि |
| सम्मति शुल्क | 11836.58 | प्रयोगशाला व्यय | 14.75 |
| पी.डी.खाते से ब्याज | 44.84 | विज्ञापन एवं प्रकाशन | 13.53 |
| बैंक / एफ.डी.आर. पर ब्याज | 4108.10 | अनुसंधान एवं विकास | 132.93 |
| अन्य ब्याज | 0.60 | पूंजीगत व्यय | 1402.33 |
| विविध आय | 14.63 | केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से प्राप्त राशि के विरुद्ध व्यय | 44.66 |
| नमूना विश्लेषण | 5.34 | | |
| बी.एम.डब्ल्यू. | 0.40 | | |
| योग | 16866.69 | योग | 5499.93 |

## जल उपकर निर्धारण एवं वसूली

वर्ष 2017–2018 के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य मण्डल द्वारा जल उपकर निर्धारण, वसूली, केन्द्र सरकार को प्रेषित राशि एवं केन्द्र सरकार से पुनर्भरण राशि का विवरण निम्नानुसार है :

| उपकर राशि का विवरण | राशि (रूपये में) |
|---|---|
| जल उपकर निर्धारण की राशि | 273563424.00 |
| जल उपकर के रूप में वसूल की गई राशि | 69466015.00 |
| केन्द्र सरकार को प्रेषित जल उपकर की राशि | 14600040.00 |

रा.प्र.नि.म.

# राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
# जयपुर

Ph. 5101871, 5101872, EPBX: 5159600, 5159699
www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb